

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

क्रमांक/ 1519/1341/2019/ई/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/10/2020

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश


विषय:- वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमास के दौरान विभिन्न निधियों में जमा राशियों पर ब्याज की दर

राज्य शासन वर्ष 2020-21 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास (1 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020) के दौरान मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 में निम्नानुसार ब्याज दर निर्धारित करता है:-

प्रथम त्रैमास (दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020)	7.10 प्रतिशत
प्रथम त्रैमास (दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2020)	7.10 प्रतिशत

2/ उपरोक्त ब्याज दरें वर्ष 2020-21 के प्रथम/द्वितीय त्रैमास के लिये प्रभावशील होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(मनोज कुमार जैन)


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक/1520/1341/2019/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 03/10/2020

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
12. महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट-1) मध्यप्रदेश,ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
18. अवर सचिव,मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखा अधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।
19. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर,मंत्रालय भोपाल।
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
22. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
23. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग